"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 फरवरी 2016—माघ 30, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सरोज कुमार पिता स्वर्गीय भास्कर गुरव, आयु 49 वर्ष, निवासी-जे. एम. आई. जी. 2/795, औद्योगिक क्षेत्र, हाउसिंग बोर्ड, भिलाई, थाना जामुल, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे सरोज कुमार पिता स्व. भास्कर गुरव के नाम से जाना पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रभात गुरव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे प्रभात गुरव पिता स्वर्गीय भास्कर गुरव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सरोज कुमार
पिता स्वर्गीय भास्कर गुरव
निवासी-जे. एम. आई. जी. 2/795, औद्योगिक क्षेत्र,
हाउसिंग बोर्ड, भिलाई, थाना जामुल
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

प्रभात गुरव
पिता स्वर्गीय भास्कर गुरव
निवासी-जे. एम. आई. जी. 2/795, औद्योगिक क्षेत्र,
हाउसिंग बोर्ड, भिलाई, थाना जामुल
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रेखा पिता श्री मन्नु लाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी-के पॉकेट 25 डी, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पिता श्री मन्नु लाल के भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश पद्मश्री दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रेखा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे कु. रेखा पिता श्री मन्नु लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. पद्मश्री पिता श्री मन्नु लाल निवासी-के पॉकेट 25 डी, मरोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कु. रेखा पिता श्री मन्नु लाल निवासी-के पॉकेट 25 डी, मरोदा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरीश चन्द्र राठौड़ आत्मज स्व. शंकर लाल राठौड़, उम्र 53 वर्ष, निवासी- वार्ड क्र. 05, सुभाष चौक, अहिवारा मार्केट, तहसील धमधा जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री के जन्म का पंजीयन नगर पालिका अहिवारा में दर्ज है जिसमें उसका नाम अनी राठौड़ दर्ज किया गया है जिसका पंजीयन क्रमांक 640 दिनांक 22-11-2013 तथा जन्मतिथि 19-11-2013 है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम वैदेही राठौड़ रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को वैदेही राठौड़ पिता श्री हरीश चन्द्र राठौड़ के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अनी राठौड़ पिता श्री हरीश चन्द्र राठौड़ निवासी- वार्ड क्र. 05, अहिवारा मार्केट तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.)	वैदेही राठौड़ पिता श्री हरीश चन्द्र राठौड़ निवासी- वार्ड क्र. 05, अहिवारा मार्केट तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आयुष अग्रवाल (Ayush Agrawal) पिता श्री सजन अग्रवाल (Sajan Agrawal), उम्र 20 वर्ष, निवासी-म. नं. 103, अग्रोहा मार्ग कोरबा, तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे आयुष बंसल (Ayush Bansal) पिता श्री सजन अग्रवाल के नाम से जाना पहचाना जाता था तथा यही नाम मेरे कक्षा 10वीं तथा 12वीं के अंकसूची में दर्ज है. मैं अपने उपनाम बंसल को परिवर्तित कर नया नाम आयुष अग्रवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे आयुष अग्रवाल पिता श्री सजन अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
आयुष बंसल (Ayush Bansal) पिता श्री सजन अग्रवाल निवासी-म. नं. 103, अग्रोहा मार्ग कोरबा तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.)	आयुष अग्रवाल (Ayush Agrawal) पिता श्री सजन अग्रवाल निवासी-म. नं. 103, अग्रोहा मार्ग कोरबा तहसील व जिला कोरबा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, वी. सूर्या पिता श्री वी. एस. के. प्रभाकर, उम्र 18 वर्ष, निवासी-एच-1, जनता क्वाटर, पद्मनाभपुर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम वी. वी. एल. एस. सूर्या दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम वी. सूर्या रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे वी. सूर्या पिता श्री वी. एस. के. प्रभाकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
वी. वी. एल. एस. सूर्या पिता श्री वी. एस. के. प्रभाकर निवासी-एच-1, जनता क्वाटर, पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	वी. सूर्या पिता श्री वी. एस. के. प्रभाकर निवासी-एच-1, जनता क्वाटर, पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पोरेन्द्र तिवारी पिता श्री गया प्रसाद तिवारी, आयु 52 वर्ष, निवासी-ग्राम झोला, पो. तिरगा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम पोरेन्द्र तिवारी दर्ज है किन्तु मेरे ड्रायविंग लायसेंस जिसे आर. टी. ओ. कार्यालय दुर्ग से जारी किया गया है उसमें मेरा नाम मोहन तिवारी दर्ज किया गया है जो गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम पोरेन्द्र तिवारी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे पोरेन्द्र तिवारी पिता श्री गया प्रसाद तिवारी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मोहन तिवारी
पिता श्री गया प्रसाद तिवारी
निवासी-ग्राम झोला, पो. तिरगा
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पोरेन्द्र तिवारी
पिता श्री गया प्रसाद तिवारी
निवासी-ग्राम झोला, पो. तिरगा
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डी. जनार्दन राव पिता श्री डी. अप्पला स्वामी, उम्र 50 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 16/एच, सड़क नं. 26, सेक्टर 4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के समस्त विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम डी. जनार्दन राव दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम Vanka Janardhan Rao रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे Vanka Janardhan Rao S/o Shri Vanka Appala Swamy के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

D. Janardhan Rao
S/o Shri D. Appala Swamy
निवासी-क्वा. नं. 16/एच, सड़क नं. 26, सेक्टर 4,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

Vanka Janardhan Rao
S/o Shri Vanka Appala Swamy
निवासी-क्वा. नं. 16/एच, सड़क नं. 26, सेक्टर 4,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 13 जनवरी 2016

क्रमांक/परि./2016/172.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के अंतर्गत अंकेक्षण कराने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप जागृति क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या. बिरकोना विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 282 दिनांक 03-08-2010 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/2485 दिनांक 03-08-2015 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया/उत्तर नस्तीबद्ध किया गया. इससे यह प्रतीत होता है कि संस्था अकार्यशील है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् जागृति क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या. बिरकोना विकासखण्ड बिल्हा पं. क्र. 282 जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्रीमति शिवानी मूले उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1220.—मां भवानी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खाम्ही पंजीयन क्रमांक 06 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 397 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गईं कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत

नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति की परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मां भवानी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खाम्ही पंजीयन क्रमांक 06 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती नीलम जोगी सहकारिता विस्तार अधिकारी को मां भवानी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. खाम्ही पंजीयन क्रमांक 06 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा , दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. /उपंक/परिसमापन/2015/1221.—मां लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. डेहरी पंजीयन क्रमांक 07 विकास खण्ड कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 390 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था, किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्र. 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015 एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुनः पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रुचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रुचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति की परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मां लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. डेहरी पंजीयन क्रमांक 07 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2015 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रीमती नीलम जोगी सहकारिता विस्तार अधिकारी को मां लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. डेहरी पंजीयन क्रमांक 07 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.